JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की स्थानिक विविधताएँ और प्रवृत्तियाँ

डॉ. वंदना निगम
सह–प्राध्यापक (समाजषात्र)
श्री कैलाश जोशी शासकीय महाविद्यालय बागली, देवास (म.प्र.)

डॉ. संध्या जैन
सह–प्राध्यापक (वाणिज्य)
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय माधव महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.)

सारांश :– यह अध्ययन स्थानिक विविधताओं और प्रवृत्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध का एक व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिसने हाल के वर्षों में षिक्षाविदों एवं नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया है। प्रभावी नीतियों और हस्तक्षेपों को तैयार करने के लिए ऐसे अपराधों के स्थानिक वितरण और अस्थायी गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। डेटा का विश्लेषण करने के लिए प्रतिशत, माध्य, मानक विचलन, विचरण का गुणांक और ‘–स्कोर जैसी सामान्य सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया गया है। इस अध्ययन के निष्कर्षों से पूरे भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की व्यापकता में उल्लेखनीय स्थानिक असमानताएं स्पष्ट होती हैं। इन अपराधों की स्थानिक विविधताओं और प्रवृत्तियों को समझकर, भारत में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लक्षित हस्तक्षेप विकसित किए जाने की अवष्यकता है।

कुंजी शब्द :– अपराध, बलात्कार, मारपीट, दहेज हत्या, मानव तस्करी।

प्रस्तावना :– भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध एक जटिल और बहुआयामी समस्या है जो देश के अलग–अलग प्रदेषों एवं क्षेत्रों में काफी भिन्न है। हालाँकि भारत ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन लिंग आधारित हिंसा एक व्यापक समस्या बनी हुई है। भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारकों से प्रभावित एक जटिल समस्या है। इस समस्या का समाजशास्त्रीय मूल्यांकन करने के लिए एवं भारत के विभिन्न समाजों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की व्यापकता की जाँच करने के लिए प्रस्तुत शोध की आवष्यकता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तर की गरीबी और आर्थिक असमानताएँ महिलाओं को विभिन्न प्रकार के शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं। पारम्परिक प्रथाएं और रीति–रिवाज, जैसे दहेज संबंधी हिंसा और सम्मान हत्याएं, कुछ क्षेत्रों में आज भी प्रचलित हैं।

उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे उत्तरी राज्यों में अक्सर दहेज संबंधी हिंसा, घरेलू दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न सहित महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर उच्च रहती है। जनसंख्या घनत्व, तेजी से शहरीकरण और सामाजिक–आर्थिक असमानताएं जैसे कारक इस प्रवृत्ति में योगदान करते हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामले में राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों का रिकॉर्ड उत्तरी राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर है। यहाँ बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या और ऑनर किलिंग के मामले सामने आते हैं। केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में महिलाओं के लिए अपेक्षाकृत बेहतर सामाजिक संकेतक हैं, लेकिन उन्हें अभी भी घरेलू हिंसा और उत्पीड़न जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

हालाँकि, बेहतर जागरूकता और शिक्षा स्तर के कारण अपराधों की रिपोर्टिंग आम तौर पर अधिक होती है। पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों को महिला सुरक्षा के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। गरीबी, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुँच जैसे कारक कमजोरियों में योगदान करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उच्च स्तर देखे गए हैं, जिनमें उग्रवाद से संबंधित यौन हिंसा भी शामिल है। जातीय संघर्ष और उग्रवाद जैसे मुद्दे कुछ क्षेत्रों में समस्या को बढ़ा देते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण चिंताएँ देखी गई हैं, जिसके लिए अक्सर शहरीकरण, प्रवासन और सामाजिक–आर्थिक असमानताएँ जिम्मेदार होती हैं। भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक–आर्थिक और कानूनी कारकों के संयोजन से प्रभावित एक जटिल मुद्दा है। इस समस्या के समाधान के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें कानूनी सुधार, शिक्षा, जागरुकता अभियान और सामाजिक दृष्टिकोण और मानदंडों को बदलने के प्रयास सम्मिलित किए जाने की अवष्यकता है।

उद्देश्य :– भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की स्थानिक विविधताएँ और प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।

शोध विधि :– वर्तमान अध्ययन के लिए, अध्ययन के उद्देश्यों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है। द्वितीयक आंकड़े भारत में अपराध आंकड़ों पर राष्ट्रीय रिपोर्टों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के प्रकाशनों और शोध पत्रों, समीक्षा पत्रों, पत्रिकाओं और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर किताबें जैसे विभिन्न स्त्रोतों से एकत्र किए गए हैं। वर्तमान अध्ययन में वर्ष 2017–2021 के लिए संज्ञेय अपराधों (आईपीसी और एसएलएल अपराध दोनों) पर आंकड़ों का उपयोग किया गया। सात प्रमुख प्रकार के अपराध, यथा दहेज हत्या, पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, महिलाओं का अपहरण और बंधक बनाना, मानव तस्करी, बलात्कार, महिलाओं पर उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम आदि का विश्लेषण किया गया है। आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए प्रतिशत, माध्य, मानक विचलन, विचरण गुणांक और ' स्कोर जैसी सामान्य सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया गया है।

भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की प्रवृत्तियां :– भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की प्रवृत्ति कई वर्षों से चिंता का विषय रही है। इन अपराधों में यौन उत्पीड़न, हमला, घरेलू हिंसा, दहेज संबंधी हिंसा, मानव तस्करी और बलात्कार सहित कई प्रकार के अपराध शामिल हैं। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उपलब्ध डेटा विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक कारकों के कारण कम रिपोर्टिंग का विषय है। भारत में साल 2017 से 2021 तक महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़े हैं। अगर एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और विशेष और स्थानीय कानून (एसएलएल) दोनों अपराधों में वृद्धि हुई है। इस दौरान भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की प्रवृत्ति पर लगातार चर्चा होती रहती है।

तलिका 1 भारत में कुल आईपीसी अपराध में महिलाओं के विरुद्ध आईपीसी अपराध की वृद्धि दर (2017–2021)

वर्ष	महिलाओं के विरुद्ध अपराध (आईपीसी अपराध)	वृद्धि दर	कुल आईपीसी अपराध	वृद्धि दर	कुल आईपीसी अपराध में महिलाओं के विरुद्ध अपराध का प्रतिशत
2017	303116	—	2822041	—	10.74
2018	310824	0.025	2875937	0.019	10.81
2019	330787	0.064	2919005	0.015	11.33
2020	398828	0.170	3969206	0.264	10.04
2021	340731	–0.171	3336273	–0.189	10.21

स्त्रोत :– राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (2017–2019)

तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2017 से 2020 तक महिलाओं के विरुद्ध अपराध (आईपीसी अपराध) में लगातार वृद्धि हुई है और इसी तरह विकास दर में भी वृद्धि हुई है। इसी तरह साल दर साल भारत के कुल अपराधों में से महिलाओं के विरुद्ध अपराध (आईपीसी अपराध) का प्रतिशत भी लगातार बढ़ा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य को केंद्र शासित

प्रदेश बनाये जाने के कारण 2021 में कुल अपराधों में से महिलाओं के विरुद्ध अपराध (आईपीसी अपराध) में नकारात्मक वृद्धि और प्रतिशत में वृद्धि हुई है।

तालिका 2 भारत में कुल एसएलएल अपराध में महिलाओं के विरुद्ध एसएलएल अपराध की वृद्धि दर (2017–2021)

वर्ष	महिलाओं के विरुद्ध अपराध एसएलएल अपराध)	वृद्धि दर	कुल एसएलएल अपराध	वृद्धि दर	कुल एसएलएल अपराध में महिलाओं के विरुद्ध अपराध का प्रतिशत
2017	42873	–	1926209	–	2.23
2018	52993	0.236	1921020	.0.002	2.76
2019	60814	0.147	1907508	.0.007	3.19
2020	58535	.0.039	2322279	0.178	2.52
2021	68542	0.146	2411785	0.037	2.84

स्त्रोत :– राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (2017–2019)

तालिका से पता चलता है कि वर्ष 2017 से 2019 तक महिलाओं के विरुद्ध अपराध (एसएलएल अपराध) में लगातार वृद्धि हुई है और वृद्धि दर भी बढ़ी है। इसी प्रकार भारत के कुल अपराधों में से महिलाओं के विरुद्ध अपराध (एसएलएल अपराध) का प्रतिशत साल दर साल भी लगातार वृद्धि हुई है। 2020 में कुल अपराधों में से महिलाओं के विरुद्ध अपराध (एसएलएल अपराध) में नकारात्मक वृद्धि और प्रतिशत रहा है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध 2021 में कुल अपराधों में से (एसएलएल अपराध) बढ़ गए हैं।

तालिका 3 भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की वृद्धि दर (आईपीसीएसएलएल) 2017–2021

वर्ष	महिलाओं के विरुद्ध अपराध आईपीसीएसएलएल अपराध)	वृद्धि दर	कुल आईपीसी एसएलएल अपराध	वृद्धि दर	कुल आईपीसीएसएलएल अपराध में महिलाओं के विरुद्ध अपराध का प्रतिशत
2017	345989	–	4748250	–	7.29
2018	363817	0.052	4796957	0.010	7.58
2019	391601	0.076	4826513	0.006	8.11
2020	357363	0.087	6291485	0.232	5.68
2021	409273	0.145	5748058	.0.094	7.12

स्त्रोत :– राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (2017–2019)

भारत में 2017–2021 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की वृद्धि दर (आईपीसीएसएलएल) का विश्लेषण करने से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध (आईपीसीएसएलएल) और महिलाओं के विरुद्ध अपराध की वृद्धि दर में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष–दर–वर्ष भारत के कुल अपराधों में से महिलाओं के विरुद्ध अपराध (आईपीसीएसएलएल) का प्रतिशत भी 2017 से 2020 तक लगातार बढ़ा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाये जाने के कारण 2021 में कुल अपराध में महिलाओं के विरुद्ध अपराध (आईपीसीएसएलएल) में नकारात्मक वृद्धि और प्रतिशत रहा है।

तालिका 4 भारत में कुल आईपीसी अपराध 2017–2021 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध

वर्ष	दहेज हत्या	पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	महिलाओं का अपहरण और अपहरण	मानव तस्करी	बलात्कार	महिलाओं पर उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम
2017	7342	101675	62400	649	31237	82947	29960
2018	7007	99745	68881	819	32013	86186	36911
2019	6988	121313	68976	941	30641	85885	44189
2020	6843	108529	58496	630	26727	81713	44569
2021	6589	130873	70238	887	30016	85168	50935
माध्य	6953.8	112427	65798.2	785.2	30126	84379.8	41312.8
मानक विचलन	273.88	13330.8	5103.5	140.01	2038.7	1956.6	8057.9
विचरण गुणांक	0.039	0.118	0.077	0.178	0.067	0.023	0.195

स्त्रोत :– राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (2017–2019)

पिछले कुछ वर्षों में भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है। इसे आंशिक रूप से बढ़ती जागरूकता, बेहतर रिपोर्टिंग तंत्र और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो पीड़ितों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध का स्थानिक विविधताएँ :– अध्ययन का यह खंड वर्ष 2017 से 2021 तक आईपीसी और एसएलएल के तहत महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के अपराधों के राज्य–वार स्थानिक वितरण को निर्दिष्ट करता है। ' स्कोर के राज्य–वार वितरण के संदर्भ में विश्लेषण करने पर, यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश (3.13) की हिस्सेदारी सबसे अधिक है और महिलाओं के विरुद्ध उच्च अपराध वाले अन्य राज्य महाराष्ट्र (1.62), राजस्थान (1.52), पश्चिम बंगाल (1.46) हैं। मध्य प्रदेश (1.15) और असम (1.05), ओडीसा (0.82), तेलंगाना (0.4), आंध्र प्रदेश (0.35), बिहार (0.3), हरियाणा (0.1) और कर्नाटक (0.09) जैसे राज्य भी महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को नियंत्रित करने के लिए स्थिर स्थिति में नहीं हैं। अन्य राज्यों में, केरल (–0.9), गुजरात (–0.31), छत्तीसगढ़ (–0.33), झारखंड (–0.36) और तमिलनाडु (–0.43) में भी पीड़ित महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश (–0.65) और उत्तराखंड (–0.7) राज्यों में तुलनात्मक रूप से कम अपराध देखे गए हैं। हालाँकि, उत्तर–पूर्व भारत के सभी राज्यों सहित महिलाओं के विरुद्ध अपराध का सबसे कम हिस्सा गोवा (–0.87) में था। हालाँकि, भारत का कोई भी राज्य अपराध से मुक्त नहीं है।

तालिका 5 ' –स्कोर : भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की स्थानिक विविधताएँ 2017–2021

क्र.	राज्य	दहेज हत्या	पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	महिलाओं का अपहरण और अपहरण	मानव तस्करी	बलात्कार	महिलाओं पर उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम	महिलाओं के विरुद्ध कुल अपाराध
1	आंध्र प्रदेश	–0.23	0.67	–0.53	0.91	0.05	0.57	–0.56	0.35
2	अरुणाचल प्रदेश	–0.5	–0.72	–0.71	–0.62	–0.75	–0.77	–0.81	–0.87
3	असम	–0.13	1.52	1.24	1.87	0.57	0.42	0.14	1.05
4	बिहार	1.83	–0.22	1.79	–0.4	–0.23	–0.69	0.17	0.3
5	छत्तीसगढ	–0.34	–0.62	–0.22	–0.1	0.35	–0.35	0.36	–0.33
6	दिल्ली	–0.22	–0.06	0.46	–0.13	0.14	–0.12	0.09	0.03
7	गोवा	–0.5	–0.73	–0.72	0.12	–0.75	–0.76	–0.82	–0.87
8	गुजरात	–0.48	–0.12	–0.43	–0.46	–0.38	–0.52	0.47	–0.31
9	हरयाणा	0.04	0.13	0.22	–0.35	0.31	–0.09	0.22	0.1
10	हिमाचल प्रदेश	–0.48	–0.67	–0.51	–0.63	–0.56	–0.48	–0.81	–0.65
11	जम्मू और कश्मीर	–0.49	–0.71	–0.68	–0.64	–0.66	–0.71	–0.82	–0.79
12	झारखंड	0.09	–0.53	–0.39	0.28	0.19	–0.43	–0.43	–0.36
13	कर्नाटक	–0.09	–0.29	–0.4	–0.33	–0.39	0.67	0.5	0.09
14	केरल	–0.47	–0.13	–0.68	0.79	0.35	0.42	–0.04	–0.09
15	लद्दाख	–0.5	–0.73	–0.74	–0.64	–0.8	–0.79	–0.82	–0.9
16	मध्य प्रदेश	0.75	0.41	1.12	0.32	2.13	1.18	1.62	1.15
17	महाराष्ट्र	–0.06	0.78	1.41	3.79	0.94	2.1	2.75	1.62
18	मणिपुर	–0.49	–0.73	–0.71	–0.56	–0.77	–0.77	–0.79	–0.88
19	मेघालय	–0.49	–0.73	–0.72	–0.62	–0.73	–0.77	–0.65	–0.85
20	मिजोरम	–0.5	–0.73	–0.74	–0.61	–0.78	–0.78	–0.75	–0.88
21	नगालैंड	–0.5	–0.73	–0.73	–0.63	–0.8	–0.79	–0.81	–0.89
22	ओडिशा	0.22	–0.12	0.48	0.7	0.32	2.47	0.18	0.82
23	पंजाब	–0.35	–0.45	–0.29	–0.57	–0.27	–0.55	–0.51	–0.52
24	राजस्थान	0.48	2.11	0.9	–0.53	3.26	1.27	–0.44	1.54
25	सिक्किम	–0.5	–0.73	–0.73	–0.63	–0.79	–0.79	–0.76	–0.89
26	तमिलनाडु	–0.41	–0.57	–0.49	–0.45	–0.52	–0.55	0.74	–0.43
27	तेलंगाना	–0.09	0.82	–0.3	1.18	–0.22	0.48	0.37	0.4
28	त्रिपुरा	–0.44	–0.66	–0.7	–0.62	–0.74	–0.75	–0.74	–0.83
29	उतार प्रदेश।	4.66	2.32	3.28	–0.41	1.87	2.41	2.9	3.13
30	उत्तराखंड	–0.36	–0.62	–0.6	–0.57	–0.41	–0.65	–0.58	–0.7
31	पश्चिम बंगाल	0.53	2.85	1.13	0.53	0.07	0.09	0.61	1.46

दहेज से होने वाली मौतों की स्थानिक भिन्नता :– भारत में दहेज से होने वाली मौतों का तात्पर्य विवाहित महिलाओं की दहेज की मांग के संबंध में उनके पतियों या ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न या हिंसा के कारण होने वाली मौतों से है।

2017 से 2021 तक महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि ʿ स्कोर मान के आधार पर स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश (4.66) और बिहार (1.83) जैसे राज्यों में महिलाएं इस क्रूर दहेज प्रथा से सबसे अधिक प्रभावित हैं। इन दो राज्यों के अलावा, जोखिम वाले अन्य राज्य मध्य प्रदेश (0.75) और पश्चिम बंगाल (0.53) हैं जहाँ महिलाओं के विरुद्ध अपराध काफी अधिक हैं।

पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की स्थानिक भिन्नता :– पश्चिम बंगाल (2.85), उत्तर प्रदेश (2.32), और राजस्थान (2.11) महिलाओं के विरुद्ध क्रूरता के मामले में शीर्ष तीन राज्य हैं। इसके साथ ही असम (1.52) राज्य का उल्लेख किया जा सकता है। इन राज्यों के अलावा, तेलंगाना (0.82), महाराष्ट्र (0.78), और आंध्र प्रदेश (0.67) शीर्ष तीन राज्य हैं जहाँ ऐसे अपराध सबसे अधिक प्रचलित हैं।

अपहरण और बंधक बनाने की स्थानिक भिन्नता :– उत्तर प्रदेश (3.28) और बिहार (1.79) राज्यों में अपहरण और बंधक बनाने के मामले सबसे अधिक हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र (1.41), असम (1.24), पश्चिम बंगाल (1.13), मध्य प्रदेश (1.12), और राजस्थान (0.9) भी ऐसे अपराधों के लिए अच्छी स्थिति में नहीं हैं। हालाँकि ऐसे अपराध पूरे भारत में देखे जाते हैं, उड़ीसा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु आदि राज्यों में इस प्रकार के अपराध उल्लिखित राज्यों की तुलना में कम (0.50 से –0.50) हैं।

मानव तस्करी की स्थानिक भिन्नता :– ʿ स्कोर मान के आधार पर मानव तस्करी की स्थिति देखी गई और पाया गया कि महाराष्ट्र (3.79), असम (1.87), तेलंगाना (1.18), आंध्र प्रदेश (0.91), केरल (0.79), और ओडीसा (0.7) जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा मानव तस्करी की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड और गोवा का स्थान है जहाँ मानव तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। हालाँकि, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात आदि राज्यों में अधिक मामलों वाले राज्यों की तुलना में मानव तस्करी कम है।

बलात्कार की स्थानिक भिन्नता :– इस प्रकार के अपराध की सबसे अधिक घटनाएं राजस्थान (3.26), मध्य प्रदेश (2. 13), उत्तर प्रदेश (1.87) और महाराष्ट्र (0.94) में होती हैं। असम (0.57), केरल (0.35), छत्तीसगढ़ (0.35), ओडीसा (0.32), हरियाणा (0.31), झारखंड (0.19), पश्चिम बंगाल (0.07) और आंध्र प्रदेश (0.05) में भी बलात्कार के मामलों में हिस्सेदारी अधिक है। इन राज्यों के अलावा, तेलंगाना (–0.22), बिहार (–0.23), पंजाब (–0.27), गुजरात (–0.38), कर्नाटक (–0.39) और उत्तराखंड (–0.41) जैसे राज्य भी ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने में विफल रहे हैं।

महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमले की स्थानिक भिन्नता :– इस आपराध के लिए एक वर्ष से लेकर पांच वर्ष तक का कारावास हो सकता है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे अपराधों की व्यापकता वाले राज्य ओडीसा (2.47), उत्तर प्रदेश (2.41), महाराष्ट्र (2.1), राजस्थान (1.27) और मध्य प्रदेश (1.18) हैं जिनका ʿ स्कोर एक से अधिक है। इसके अलावा कर्नाटक (0.67), आंध्र प्रदेश (0.57), तेलंगाना (0.48) केरल (0. 42) असम (0.42) और पश्चिम बंगाल (0.09) में भी अपराध का हिस्सा सबसे ज्यादा है।

यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (च्व्ब्ैव्) की स्थानिक भिन्नता :– उत्तर प्रदेश (2.9), महाराष्ट्र (2.75), और मध्य प्रदेश (1.62) यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के मामले में शीर्ष तीन राज्य हैं। इन राज्यों के अलावा, तमिलनाडु (0.74), पश्चिम बंगाल (0.61), और कर्नाटक (0.5) शीर्ष तीन राज्य हैं जहाँ ऐसे अपराध सबसे अधिक प्रचलित हैं। हालाँकि, गुजरात (0.47), तेलंगाना (0.37), छत्तीसगढ़ (0.36), हरियाणा (0.22), ओडीसा (0.18), बिहार (0.17) और असम (0.14) में च्व्ब्ैव् की हिस्सेदारी कम है और च्व्ब्ैव् की घटनाएं सबसे कम हैं। पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और गोवा (0.0–0.82) में च्व्ब्ैव् की घटनाएं देखने को मिल रही हैं।

एनसीआरबी द्वारा 2017 से 2021 तक उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि भारत का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहाँ महिलाओं के विरुद्ध अपराध नहीं हुए हैं। हालाँकि, अपराध का प्रकार, संख्या और

स्तर अलग–अलग है, खासकर अलग–अलग जगहों पर। उपर्युक्त उल्लिखित निष्कर्षों के अनुसार, इस अवधि के दौरान महिलाओं के विरुद्ध आईपीसी अपराधों की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई, जबकि भारत में कुल आईपीसी अपराधों में भी वृद्धि हुई। हालाँकि, इस अवधि में भारतीय राज्यों में महिलाओं के विरुद्ध एसएलएल अपराध और कुल एसएलएल अपराध दोनों प्रवृत्तियों में वृद्धि हुई है। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि 2017 के बाद से, भारत में कुल अपराध के साथ–साथ महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराध में भी वृद्धि देखी गई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति के लिए विभिन्न निर्धारक जिम्मेदार हैं। भारत में महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक उत्पीड़न के लंबे इतिहास के कारण, उनके विरुद्ध अपराधों के संबंध में चिंता और ज्ञान की व्यापक कमी है। महिलाओं में हिंसा और अधिकार की भावना के मूल कारण लिंग भेदभाव, अपर्याप्त शिक्षा, कानून और सजा के डर की कमी, अश्लीलता, शराब का उपयोग आदि हैं। (सिंह, एस. , और वीर, जी. 2021)।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध की स्थानिक भिन्नता के संदर्भ में, असम को छोड़कर उत्तर–पूर्व के राज्य सबसे सुरक्षित राज्य हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इन राज्यों में दहेज प्रथा लगभग शून्य है, पर्यटन व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी, महिला साक्षरता दर काफी अधिक है, और सबसे ऊपर, महिलाओं का बाहरी दुनिया से संपर्क, जो अपराध की कम दर का कारण हैं। यदि हम महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न अपराधों के कारणों को समझने का प्रयास करें तो देखेंगे कि इनके पीछे अनेक कारण हैं। हालाँकि, भारत में पितृसत्तात्मक मानसिकता और लैंगिक रूढ़िवादिता है जो महिलाओं की उन्नति में बाधा बनती है (दत्त, ए. 2018)। अमीर से लेकर गरीब, अशिक्षित परिवारों से लेकर उच्च शिक्षित परिवारों तक, दहेज प्रथा अभी भी हर जगह मौजूद है, जो दुल्हन की हत्या के प्रमुख कारणों में से एक है (पुष्पम, के. नीला 2022)।

निष्कर्ष :– विभिन्न अपराधों में से दहेज हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की घटनाओं में कुछ हद तक कमी आई है। लेकिन अन्य अपराध जैसे पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, महिलाओं का अपहरण, मानव तस्करी, महिलाओं पर उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से हमले और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा में वृद्धि जारी रही। महिलाओं के विरुद्ध अपराध की स्थानिक भिन्नता के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडीसा और असम में अपराध की सघनता सबसे अधिक है। इसके विपरीत, उत्तर भारतीय राज्यों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, साथ ही उत्तर–पूर्वी भारतीय राज्यों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर सबसे कम है। मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी भारतीय राज्यों में अपराध का हिस्सा भी काफी हद तक मध्यम से अधिक था। हम आशावादी हैं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या में जल्द ही कमी आएगी, हालांकि यह स्थान और समय दोनों के संदर्भ में भयावह और परेशान करने वाला है कि इसमें वृद्धि हो रही है। इस समस्या के समाधान के प्रयासों में शिक्षा में सुधार, कानून प्रवर्तन की भूमिका बढ़ाना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, पीड़ितों को स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी सहायता तक बेहतर पहुँच प्रदान करना महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ

1- सिंह, एस., और वीर, जी. (2021), ''महिलाओं के विरुद्ध अपराध : एक भारतीय परिदृश्य'', जर्नल ग्लोबल वैल्यूज, 12(1), 159–166।

2- दत्त, ए. (2018), ''भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में पितृसत्ता का पता लगाना : सामाजिक, कानूनी और वैकल्पिक प्रतिक्रियाएँ'', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, 4(2), 212–228।

3- पुष्पम, के. नीला. (2022), ''भारत में दहेज प्रथा'', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स (आईजेसीआरटी), 10(1), 431–440

4- न्यूमे, डब्ल्यू. (2018), ''भारत में ऑनर किलिंग'', जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव रिसर्च (जेईटीआईआर), 5(9), 333–338।

5- टोरी, एम.सी. (2009), ''दक्षिण भारत में निचली जातियों के प्रति देवदासी प्रथा का दुरुपयोग'', अंतर्राष्ट्रीय महिला अध्ययन जर्नल, 11(2), 31–48।

6- दास, एम. (2020), ''भारत में पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की प्रकृति में अपराध के हालिया रुझानों का अवलोकन'', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज (आईजेआईएमएस), 7(2), 72–78।

7- देव, के. और शाहीन, ए. (2014), ''भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध का एक स्थानिक और अस्थायी विश्लेषण'', ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल, 2(1), 322–329।